

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
(PRINCIPAL BENCH)
13/15, MALL ROAD, DELHI-54


No. RCT/DLI/Outsourcing Stenos/2022

Dated 03-05-2023

Railway Claims Tribunal, Delhi will conduct a walk in interview for temporarily filling up two posts of English Stenographer on contract basis for a specified period as per terms and conditions decided by Railway Board (Ministry of Railway) on date, time and place mentioned below:-

Place	Date	Time
Railway Claims Tribunal 13/15, Mall Road, Delhi-54	10.05.2023	10.30 Hrs.

Willing candidates may visit RCT website www.rct.indianrail.gov.in and Northern Railway website www.nr.indianrailways.gov.in for detail terms and conditions of engagement of outsourced Stenographers through walk in interview.


Addl. Registrar
Mob: 9560391676

15

TERMS AND CONDITIONS FOR ENGAGEMENT OF STENOGRAPHERS ON CONTRACTUAL/OUTSOURCING BASIS IN RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL-DELHI

1. Qualifications and experiences for the post against stenographers:- "Intermediate or equivalent examination from a recognized Board or University with proficiency in English stenography with speed of 80 w.p.m having thorough knowledge of computers, with knowledge of MS words, Excel, good communications and interpersonal skills". There will be skill test of English shorthand at the speed of 80.w.p.m. and 50 minutes for transcription of shorthand on computer.

SPEED	DURATION	TRANSCRIPTION TIME
80.W.P.M	10 Minutes	50 Minutes

2. Age: 18-30 years (relaxation of age for 3 years to OBC and 5 years to SC/ST candidates)
3. Salary: Remuneration/salary shall be paid as per the instructions contained in DOP&T's OM. No. 49014/2017-Esstt (C)Pt. dated 04-09-2019
4. If the person engaged/hired remains absent, pro rata deduction will be made from the amount payable to him/her. The amount of deduction will be worked out on the basis of 1/30th of the lump sum amount per day of absence
5. Working hours will be 8 hours per day from 9.30 hrs to 18.00 hrs with half an hour lunch break from 13.30 to 14.00 hrs on all working days.
6. Since RCT is a judicial organization, it has to be made clear to the candidates that any leak of confidential information may lead to legal action including prosecution.
7. Giving one month prior notice by either party can terminate this contractual engagement.
 - (i) The above contractual arrangement would be for the period not exceeding 11 months from the date of acceptance of the terms and conditions for such engagement or till the posts are filled by Zonal Railways, whichever is earlier.
 - (ii) The contractual engagement can be extended for further period not exceeding 11 months, if agreed by both parties and based on the performance of the hired candidate(s) subject to(i) above.
8. Engagement of persons under this scheme does not constitute any offer of appointment in RCT or Railways.
9. Recovery has to be made from the monthly wages for wilful damage/loss to equipment or property that may be caused by the persons engaged.

**FORMAT OF APPLICATION FOR THE POST OF STENOGRAPHER IN
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL-DELHI BENCH PURELY ON CONTRACTUAL
BASIS.**

					<u>Photo</u>	
1	Name in Full (IN BLOCK LETTERS)					
2	Date of Birth					
3	Father/Husband's name					
4	Correspondence Address					
5	Permanent Address					
6	Telephone/Mobile Number					
	Fax No.					
	Email ID					
	(Telephone/Mobile No. and email ID are mandatory)					
7	Present Occupation, if any					
8	Educational qualification(in the reverse chronological order)					
	Name of Board/University	Degree	Year of passing	Percentage of marks obtained	Academic distinctions if any	Subjects specialization

Signature of the Candidate

रेल दावा अधिकरण (प्रधान पीठ)

13/15 माल रोड

दिल्ली-54

सं0 आरसीटी/दिल्ली/आउट सोर्सिंग स्टेनो/2022

दिनांक 03.05.2023

रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ दिल्ली में अंग्रेजी के आशुलिपिक के 02 पदों को रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा के आधार पर अस्थाई रूप से भरने हेतु नीचे उल्लिखित तारीख समय एवं स्थान पर वॉक इन इन्टरव्यू आयोजित किया जाएगा ।

स्थान	दिनांक	रिपोर्टिंग का समय
रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ 13/15 माल रोड दिल्ली-54	10.05.2023	10.30 बजे

इच्छुक आवेदनकर्ता इस साक्षात्कार से संबंधित शर्तों व निबंधनों की विस्तृत जानकारी के लिए आरसीटी की वेबसाइट www.rct.indianrail.gov.in और उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in पर देखें ।



अपर रजिस्ट्रार

रेल दावा अधिकरण

दिल्ली-54

मोबाईल नं. 9560391676

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली कार्यालय में संविदागत/आउटसोर्सिंग आधार पर आशुलिपिकों की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें:-

1. आशुलिपिक के पद के लिए योग्यता/अर्हता एवं अनुभव:-
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से 12th और समकक्ष परीक्षा पास होने के साथ साथ कंप्यूटर की समग्र जानकारी सहित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि में दक्षता, एम एस वर्ड, एक्सल की जानकारी, व्यवहार-कुशल और पारस्परिक कौशल में भी दक्ष हो। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और कंप्यूटर पर आशुलिपि के लिप्यांतरण के लिए 50 मिनट की कौशल परीक्षा होगी।

गति	अवधि	लिप्यांतरण समय
80 शब्द प्रति मिनट	10 मिनट	50 मिनट

2. अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष (ओबीसी अभ्यर्थी के केस में 3 वर्ष एवं एससी/एसटी अभ्यर्थियों के केस में 5 वर्ष की छूट)
3. पारिश्रमिक वेतन का भुगतान दिनांक 04.09.2019 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 49014/2017-इस्ट.(सी)पीटी में अंतविनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।
4. यदि नियुक्ति/ठके के आधार लिया गया कोई व्यक्ति ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि में से यथा आनुपातिक आधार पर राशि की कटौती की जाएगी। प्रतिदिन की अनुपस्थिति के मामले में कटौती की राशि एकमुश्त राशि का 1/30 वां भाग होगी।

5. सभी कार्य दिवसों पर 9.30 बजे से 18.00 बजे तक कार्य के आठ घंटे होंगे जिसमें 13.30 बजे से 14.00 बजे का आधे घंटे का भोजन अवकाश होगा।
6. चूंकि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संगठन है, इसलिए उम्मीदवारों को यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी गोपनीय सूचना के लीक होने पर मुकदमें सहित कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
7. किसी भी पक्षकार द्वारा एक महीने पूर्व नोटिस देने पर यह व्यवस्था समाप्त की जा सकती है:-
 - (i) उपर्युक्त संविदागत व्यवस्था ऐसी नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तों की स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए अथवा जब तक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा पदों को न भर लिया जाए, जो भी पहले हो, तक होगी।
 - (ii) उपर्युक्त संविदागत व्यवस्था दोनों पक्षकारों की सहमति से और संविदागत आधार पर लिए गए उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के कार्य-निष्पादन के आधार पर उपर्युक्त (i) के अध्यक्षीन अगले 11 महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
8. इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों की नियुक्ति रेल दावा अधिकरण या रेलवे में किसी नियुक्ति की पेशकश नहीं होगी।
9. यदि इस प्रकार नियुक्ति किए गए व्यक्तियों द्वारा किसी उपकरण अथवा संपत्ति को जानबूझकर कोई नुकसान/हानि पहुंचायी जाती है, तो उनके मासिक वेतन से इसकी वसूली की जाएगी।

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली पीठ में आशुलिपिक के पद को पूर्णतः संविदागत आधार पर भरने के आवेदन पत्र का फॉर्मेट

					फोटो		
1.	उम्मीदवार का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)						
2.	जन्म तिथि						
3.	पिता/पति का नाम						
4.	पत्राचार का पता						
5.	स्थाई पता						
6.	टेलीफोन/मोबाईल नंबर						
	फैक्स नंबर						
	ई मेल आईडी						
	(टेलीफोन, मोबाईल नंबर एवं ई मेल अनिवार्य हैं)						
7.	वर्तमान व्यवसाय, यदि कोई हो						
8.	शैक्षणिक योग्यता (रिवर्स क्रमानुसार)						
	बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत	शैक्षणिक योग्यता विशेष रूप से यदि कोई हो	विशेषज्ञता प्राप्त विषय	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर